राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिनांक 21.02.2014 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की दिसम्बर 2013 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 21.02.2014 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

बैठक में श्री आर. एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); श्री देवाशीष पाण्डा, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (कृषि); डा0 आदर्श सिंह, आई.ए.एस, मिशन निदेशक, (एन.आर.एल.एम.), उ.प्र. शासन, लखनऊ; श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री के के गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ व श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन विशेष रुप से उपस्थित रहे। साथ ही विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा; श्री आर. एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त); श्री देवाशीष पाण्डा, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (कृषि); डा0 आदर्श सिंह, आई.ए.एस, मिशन निदेशक, (एन.आर.एल.एम.), उ.प्र. शासन, लखनऊ; श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ; श्री के के गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ; श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन व बैठक में पधारे अन्य गणमान्य अतिथियों का स्वागत करते हुये निम्न महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ.प्र. की तिमाही बैठको का वार्षिक कैलेण्डर सभी सम्बन्धित को प्रेषित किया जा चुका है। तदनुसार विभिन्न गतिविधियों हेतु बैंको के स्तर से समयबद्ध कार्यवाही का अनुरोध है।
- उन्होने मार्च 2014 तक प्रदेश में -3000- नयी बैंक शाखाओ की स्थापना एवं -12- चयनित जनपदों में 3% प्वाइंट तक ऋण जमा अनुपात को बढ़ाने (मार्च 2013 के स्तर से) जैसे -2- महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर प्रकाश डालते हुये सदन को अवगत कराया कि 19.02.2014 तक प्रदेश में बैंको द्वारा -1571- नयी बैंक शाखायें स्थापित की गयी है जो 3000 लक्ष्य के सापेक्ष -1429- कम है जिसकी पूर्ति आगामी लगभग 50 दिनो की अवधि में किया जाना अपेक्षित है। प्रदेश में चयनित -12- जनपदो में से -10- जनपदों में, सभी बैंको के सम्मिलित प्रयासों से ऋण जमा अनुपात में व्यापक वृद्धि दर्ज की गयी है।

  उन्होने यह भी अवगत कराया कि शाखा विस्तार कार्यक्रम की समीक्षा हेतु क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ द्वारा दिनांक 23.01.2014 को एक विशेष बैठक आयोजित की

गयी थी। साथ ही निदेशक, संस्थागत वित्त द्वारा भी मासिक आधार पर इसकी समीक्षा की जा रही है। सचिव (वित्तीय सेवाये), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित पत्र द्वारा प्रदेश में नयी बैंक शाखायें खुलने की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है।

- 2000 से कम आबादी वाले गावों मे वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के विषय में चर्चा करते हुये महाप्रबन्धक महोदय ने बताया कि बैंको को चयनित सभी -76855- गावों में बैंकिंग सेवाओ का विस्तार अगले -3- वर्षो में मार्च 2016 तक चरणबद्ध तरीके से करना है। इसके अंतर्गत पहले वित्तीय वर्ष 2013-14 के लक्ष्य -30515- के सापेक्ष दिसम्बर 2013 तक -11242- गॉव कवर हुये है जोकि लक्ष्य का 37% है।
- इसी क्रम में उन्होने अवगत कराया कि भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई द्वारा भी बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित पत्र द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश मे दर्ज धीमी प्रगति पर गम्भीर चिंता व्यक्त की गयी है।
- उन्होने प्रदेश सरकार से बैंकर्स की ओर से ऋण वसूली, सुरक्षा एवं व्यवसाय वृद्धि हेतु आधारभूत सुविधाओं के विस्तार आदि महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर सक्रिय सहयोग का अनुरोध करते हुये कहा कि निश्चय ही, भविष्य में यह निरंतर सहयोग और बेहतर उपलब्धियाँ प्रदान करेगा।

अपने सम्बोधन के अन्त में श्री निर्मेष कुमार, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्बन्धित विभाग प्रमुखो, बैंको व अन्य कार्यदायी संस्थाओं से आग्रह किया कि वे प्रदेश के विकास हेतु किये जा रहे कार्यो व उपलब्धियो से सम्बन्धित सुसंगत आकड़ो का ससमय प्रेषण सुनिश्चित करें ताकि प्रदेश की उपलब्धियो को और प्रभावी रुप से प्रस्तुत किया जा सके।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी अतिथियों का स्वागत व अभिनन्दन करते हुये निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :-

- आलोच्य अवधि के दौरान प्रदेश मे विभिन्न मानको के अंतर्गत अच्छी प्रगति दर्ज हुई है। साथ ही कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जहॉ अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके है जिसके अनुरुप प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है।
- गत 15.01.2013 को सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक के -2- प्रमुख निर्णयों यथा -3000- नई बैंक शाखाओं की स्थापना एवं -6- लीड बैंको से सम्बन्धित -12- चयनित जनपदों में मार्च 2014 तक 3% प्वाइन्ट ऋण जमा अनुपात की वृद्धि का स्मरण कराते हुये उन्होने प्रदेश में शाखा विस्तार की दिसम्बर 2013 माह तक की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की। उन्होने कहा कि यह मुद्दा भारत सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर चर्चा का विषय है तथा इसकी प्रगति समीक्षा नियमित रुप से की जा रही है। इस विषय पर कुछ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लाइसेंस से सम्बन्धित प्रकरण का संज्ञान लेते हुये उन्होने अन्य प्रमुख बैंको से आह्वाहन किया कि वे अपने निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें।

- ऋण जमा अनुपात के विषय में अध्यक्ष महोदय ने जहाँ -12- में से -10- चयनित जनपदों द्वारा दर्ज वृद्धि की सराहना की, वहीं प्रदेश में ऋण जमा अनुपात में विगत त्रैमास की अपेक्षा 0.82% की हुई गिरावट पर चिंता व्यक्त की।
- वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत दिसम्बर 2013 त्रैमास तक दर्ज 60.55% प्रगति का जिक्र करते हुये श्री श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि यद्यपि यह उपलब्धि गत वर्ष की समान अवधि के सापेक्ष कुल ऋण वितरण धनराशि व प्रतिशत मानकों में अधिक रही है तथापि आवश्यकता इस बात की हैं कि शेष 40% लक्ष्यों की पूर्ति मार्च 2014 तक करते हुये निर्धारित लक्ष्यो की शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये। इसके लिये विशेषकर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा सक्रिय योगदान की आवश्यकता है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के विभिन्न घटकों यथा –कृषि ऋण, कमजोर वर्गों को ऋण व अल्प संख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण की प्रगति के विषय में उन्होने कहा कि इन क्षेत्रो में प्रदेश की प्रगति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक है जोकि सराहनीय है। तथापि कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु निवेश ऋण (Investment Credit) को बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्य में निवेश ऋण की प्रचुर सम्भावनाऐं है जिसका सदुपयोग कर हमें प्रदेश के कृषि ऋण पोर्टफोलियो को नवीनतम उचाँई तक पहुँचाना है।
- वित्तीय समावेशन के अंतर्गत 2000 से अधिक आबादी वाले -16388- गावों में बैंकिग सेवाओ के विस्तार का कार्य बैंको द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न कर लिया गया है। इसी क्रम में 2000 से कम आबादी वाले -76855- गावों मे मार्च 2016 तक बैंकिग सेवाओ के विस्तार हेतु भी रोडमैप तैयार किया गया है जिसके अनुरुप मार्च 2014 तक का लक्ष्य -30515- गॉवो मे बैंकिंग सेवाऐ प्रदान करने का था। इस लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर 2013 तक की प्रगति के अनुसार मात्र -11242- गॉव कवर हो पाये है, जो असंतोषजनक है। उन्होने इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित पत्र का जिक्र करते हुये सभी बैंको से मार्च 2014 तक निर्धारित लक्ष्यो के सापेक्ष शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने हेतु आह्वाहन किया।
- उन्होने डी.बी.टी. एवं डी.बी.टी.एल. योजना के अंतर्गत चयनित क्रमश: -6- एवं -3- जनपदों में सभी लाभयार्थियों का बैंक खाता खोलने तथा विशेषकर खाते से आधार संख्या लिंक करने के निर्धारित कार्य को शीघ्रता से पूर्ण किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि इस योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो सके।
- ए.टी.एम. के सम्बन्ध में चर्चा करते हुये अध्यक्ष महोदय ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों को दोहराते हुये कहा कि सभी बैंक शाखाओं के साथ एक ऑन-साइट ए.टी.एम. का होना अनिवार्य है तथा बैंको को यह कार्य 31.03.2014 तक पूर्ण करना है। उन्होने सभी बैंको से अपील की कि वह सभी पात्र किसान क्रेडिट कार्ड धारको को डेबिट कम ए.टी.एम. कार्ड (रुपे कार्ड) तथा अन्य ग्राहकों को ए.टी.एम. कार्ड की सुविधा भी अवश्य उपलब्ध कराये ताकि ए.टी.एम. मशीनो का व्यापक उपयोग हो सके जिससे कि बैंको की लाभप्रदत्ता में वृद्धि हो तथा बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके।

- बुनकर क्रेडिट कार्ड के विषय में उन्होने कहा कि सभी प्राप्त आवेदनों का "कैम्प मोड" में शाखा स्तर पर निस्तारण 10.03.2014 तक किया जाना चाहिये ताकि आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष अच्छी प्रगति प्राप्त की जा सके।
- **स्वयं सहायता समूहों के विषय में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रदेश में 1,25,000 स्वयं** सहायता समूहों को क्रेडिट लिंक करने के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 20000 समूहो को बैंको द्वारा क्रेडिट लिंक किया जा सका है। उन्होने बैंको से इस सन्दर्भ में विशेष ध्यान देने का आह्वाहन करते हुये कहा कि आने वाले दिनों मे सभी समूह "राष्ट्रीय ग्रामीण आजिविका मिशन" के अंतर्गत आच्छादित किये जायेगे तथा इन समूहों को पात्रता के अनुसार **Interest Subvention** का लाभ मिलेगा, जो बैंको की ऋण वसूली में सहायक सिद्ध होगा। साथ ही उन्होने विभिन्न सरकार प्रायोजित कार्यक्रमो में भी बैंकों द्वारा अधिकतम योगदान प्रदान करने हेतु कहा।
- आरसेटी संस्थानों हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के -65- जनपदो में नि:शुल्क भूमि का आवंटन हो चुका है। सम्बन्धित बैंको द्वारा इन सभी स्थानो पर लीजडीड निष्पादित करते हुये भूमि पर भौतिक कब्जा करने के उपरान्त, भवन निर्माण की प्रक्रिया यथा शीघ्र प्रारम्भ की जाये ताकि यथाशीघ्र योजनांतर्गत वांछित उपलब्धियां हासिल की जा सके। सभी बैंको को अपने सम्बन्धित आरसेटी संस्थानो की "ए" ग्रेडिंग के लिये प्रयासरत रहना चाहिये। उन्होने प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि शेष 10 जनपदों मे भी भूमि आवंटन अतिशीघ्र कराया जाये।
- प्रदेश में बैक ऋण वसूली की स्थिति का जिक्र करते हुये उन्होने राज्य सरकार से वांछित सहयोग का अनुरोध किया। उन्होने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में अच्छी फसल होने के कारण यहाँ ऋण वसूली की बेहतर सम्भावनाऐं है। बैंको एवं राज्य सरकार के सहयोग से निश्चय ही उत्साहवर्धक परिणाम परिलक्षित होगें जिससे भविष्य में बैंको का मनोबल बढ़ेगा तथा वह पूरे वर्ष उत्साहवर्धक ऋण वितरण का कार्य करने हेतु प्रेरित करेंगे।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन के अंत में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में वियमान अच्छे माहौल में बैंक व राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से विकास प्रक्रिया को नयी दिशा व गति प्राप्त होगी।

श्री आर.एम. श्रीवास्तव, आई.ए.एस, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त), उ. प्र. शासन ने सदन को सम्बोधित करते हुए सभी बैंको द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में समुचित प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होने कहा कि इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति मे केवल एक माह का समय ही शेष रह गया है। अत: हम सभी को एक जुट होकर प्रदेश के विकास में योगदान करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में बैंको द्वारा -3000- नयी शाखाओ की स्थापना के विषय में जहाँ एक ओर उन्होने -7- बैंको एवं -5- जनपदो के अग्रणी जिला प्रबन्धकों को उनके लक्ष्य की पूर्ति के लिये शुभकामनायें दी वहीं दूसरी ओर -17- प्रमुख बैंको द्वारा लक्ष्य की पूर्ति के लिये लगभग -1432- नयी शाखाऐं और खोले जाने हेतु आह्वाहन किया। उन्होने सदन को अवगत कराया कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिये प्रदेश सरकार ने सभी सम्बन्धित बैंको एवं विभागों की बैठक का आयोजन 22.02.2014 को मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में किया है। उन्होने सभी

बैंकों से अनुरोध किया कि वह शाखाएँ न खोल सकने के कारणो से संस्थागत वित निदेशालय को अवगत करायें ताकि इस बैठक में विस्तृत चर्चा की जा सके व आवश्यक कार्यवाही सम्भव हो सके। उन्होने विश्वास जताया कि इन नयी बैंक शाखाओं की स्थापना से निश्चय ही प्रदेश में विकास के नये आयाम कायम हो सकेगे तथा सभी मानकों में हमारे प्रदेश की प्रगति हमेशा ही आगे रहेगी।

डी.बी.टी. योजना का उल्लेख करते हुए प्रमुख सचिव महोदय ने इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया क्योंकि योजनांतर्गत लाभार्थियों को प्राप्त होने वाली विभिन्न सुविधाओं का लाभ पारदर्शक तरीके से उनके खातों में पहुँचता है। इससे आम जनता में सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वशनीयता कायम होती है। यह योजना "Better Governance" की ओर उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।

आरसेटी संस्थानों के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने सदन को अवगत कराया कि अधिकांश स्थानों पर भूमि आवंटित की जा चुकी है तथा शेष स्थानों पर कार्यवाही जारी है ताकि शीघ्र ही इन सभी स्थानों पर भी भूमि का आवंटन किया जा सके। भूमि के रजिस्ट्रेशन में बैंकर्स द्वारा महसूस की जा रही व्यवहारिक समस्याओं यथा -33- वर्षों की लीजडीड कराने पर उच्च स्टाम्प ड्यूटी आदि पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने बैंकों को आश्वासन दिया कि शासन द्वारा जल्द ही इसका समाधान खोजकर अवगत कराया जायेगा।

उन्होने बैंकर्स को धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश में सभी के आपसी सहयोग से हमारा प्रदेश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर रहेगा।

श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने संबोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु अनुरोध किया :-

- दिनांक 15.01.2013 को डा0 डी सुब्बाराव, माननीय गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता मे सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक में मार्च 2014 तक कुल -3000- नयी शाखाओं की स्थापना हेतु जो लक्ष्य तय किया गया है उसके सापेक्ष दिसम्बर 2013 तक केवल -1514- शाखाये खोली गयी है जो निश्चय ही असंतोषजनक है। अत: बैंको के स्तर पर प्रभावी कार्यवाही अपेक्षित है। सभी बैंको के नियंत्रक इस विषय को गम्भीरता से लेते हुये अधिकाधिक शाखायें खोलना सुनिश्चित करें।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 से कम आबादी वाले -76855- गावों में 2016 तक बैकिंग सेवाओं के विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 तक 30515 गावों को समाहित करना था जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2013 तक मात्र -11242- गॉव ही समाहित किये गये है जो कि लक्ष्य का केवल 37% है। मुख्य बैंको का नाम लेते हुये उन्होने सभी बैंको से शत प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति का आह्वाहन किया।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ही बैंको के नियंत्रण कार्यालयों द्वारा वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 हेतु डिसएग्रीगेशन प्लान तैयार कर उसकी शाखावार फॉट कर उसकी पुष्टि भारतीय रिज़र्व बैंक को किया जाना अपेक्षित था। चिन्ता का विषय है कि कई बैंको ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है।

बैंक ऑफ बड़ौदा BANK OF BARODA राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति उ0 प्र0 अंचल कार्यालय (पू0उ0प्र0 अंचल), लखनऊ ZONAL OFF. (E.U.P. ZONE), LKO.

- आई.सी.टी. बेस्ड बी.सी. मॉडल की सफलता हेतु कतिपय बैंको के एफ.आई. सर्वर एवं सी.बी.एस. सर्वर का इंटीग्रेशन न हो सकने के कारण वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे है। सम्बन्धित बैंकों द्वारा इस समस्या का तुरंत निदान आवश्यक है। इसी क्रम में यह भी पाया गया है कि कतिपय बैंको ने पूर्व में कार्यरत सेवा प्रदाताओं **(Service Providers)** को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के निरस्त कर दिया है जिसके कारण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समस्या आ रही है। साथ ही आम नागरिको के मन में शंका की भावना भी पैदा हो रही है। इस स्थिति से उबरने के लिये सभी बैंको से अनुरोध है कि आई.सी.टी. बेस्ड एफ.आई. मॉडल को प्राथमिकता प्रदान करते हुये इसके माध्यम से निरंतर बैंकिंग सुविधायें आम जनता तक पहुँचाना सुनिश्चित करें।
- विगत 15 जनवरी 2013 को सम्पन्न एस.एल.बी.सी. की विशेष बैठक के निर्णयानुसार चयनित -12- जनपदों में से -2- जनपदों के ऋण जमा अनुपात मे कमी हुई है तथा अन्य -2- जनपदों में वृद्धि 2% से कम हुई है। इन सभी जनपदो में जहाँ वांछित प्रगति नही हो सकी है, बैंको द्वारा सघन प्रयास करना अपेक्षित है।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों द्वारा महसूस की जा रही समस्याओं एवं कठिनाईयों का सही ऑकलन करने तथा उसका समाधान करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा **Town Hall Meetings** का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बैंकर्स द्वारा सक्रिय सहभागिता आवश्यक है।
- करेंसी मैनेजमेंट मामलों मे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशो को दोहराते हुये उन्होने कहा कि इनका अनुपालन आवश्यक है ताकि बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान की जा सके। करेंसी चेस्ट द्वारा कैश मूवमेंट पर निगरानी तथा अन्य कार्य जिसका अधिकार बैंको को दिया गया है का प्रभावी कार्यनिष्पादन बैंको द्वारा किया जाना अपेक्षित है।
- विभिन्न बैंकों के नियंत्रकों की सहमति से प्रदेश के कुछ जनपदों में कुछ शाखाओं को नये नोट एवं सिक्को के वितरण तथा कटे-फटे नोटों के विनिमय के लिये चयनित किया गया है। सभी सम्बन्धित बैंको द्वारा इस सुविधा का लाभ जनता को उपलब्ध कराना अपेक्षित है।
- बैंको द्वारा ए.टी.एम. के फेल्ड ट्रांजेक्शनस का निस्तारण तुरन्त एवं समयबद्ध तरीके से करना अपेक्षित है।
- बैंको को सुरक्षा निर्देशों का शत प्रतिशत पालन करना चाहिये तथा सुरक्षा यंत्र यथा **CCTV Camera, Alarm Systems,** इत्यादि का उचित रख-रखाव एवं सदुपयोग सुनिश्चित करना चाहिये।

श्री के. के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकृष्ट किया :-

- वर्ष 2014-15 हेतु नाबार्ड द्वारा ₹1,21,000 करोड़ के ग्रामीण ऋण का आकंलन किया गया है जो चालू वित्तीय वर्ष हेतु अनुमानित राशि से 18% अधिक है।

- पट्टे की भूमि में निवेश हेतु मौखिक पट्टेदार किसानों व काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराया जाना
- भारत सरकार की ए.एम.आई.सी.एस. योजना के क्रियांवयन हेतु ए.पी.एम.सी. अधिनियम मे संशोधन करना
- युवाओं को कृषि क्षेत्र की ओर प्रोत्साहित करना
- राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित एकल खिड़की योजना के आधार पर विशिष्ट कृषि परियोजनाओ पर बल दिया जाना
- कृषि से सम्बन्धित सभी उपलब्ध सब्सिडी योजनाओं को समेकित कर उसे राज्य की वेबसाइट पर दर्शाना
- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अंतर्गत ₹10.00 लाख तक के कृषि ऋण पर स्टाम्प शुल्क में छूट की सुविधा प्रदान करना
- प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको द्वारा रुपे कार्ड व जी.सी.सी. को जारी करने के लिये नाबार्ड द्वारा प्रदत्त ₹38.00 करोड़ की वित्तीय सहायता का शीघ्रतापूर्वक सदुपयोग
- प्रदेश के गन्ना किसानो को ससमय गन्ना मिलों से भुगतान न मिलने के कारण ऋण में 3% तथा 4% छूट का लाभ न मिल पाने की समस्या का समाधान करना
- प्रदेश के -28- जनपदों मे कार्यरत -16- सहकारी बैंको की अशक्तता के कारण इन जनपदों मे ऋण प्रवाह प्रभावित है अतः सभी व्यवसायिक बैंको व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को इन जनपदो में अधिक ऋण प्रवाह पर बल देना
- प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यरत स्वयं सहायता समूहों को भारत सरकार की नवीनतम योजना "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन" के निर्धारित मानकों के अनुसार इस योजना के अंतर्गत आच्छादित करने की आवश्यकता
- प्रदेश मे 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको के पुनर्पूंजीकरण किये जाने के लम्बित मामले पर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया कि वह पुनर्पूंजीकरण की धनराशि का 15% योगदान अतिशीघ्र निर्गत करायें ताकि शेष 85% भाग भारत सरकार तथा प्रायोजित बैंको से लेकर पुनर्पूंजीकरण का कार्य सम्पन्न हो सके

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरान्त पावर प्वाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा हेतु स्थिति प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या 1:- <u>राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की दिनांक 16.12.2013 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि</u>

विगत बैठक दिनांक 16.12.2013 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 06.01.2014 व 27.01.2014 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या 2:- <u>राज्य स्तरीय बैकर्स समिति की दिनांक 16.12.2013 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट</u>

(I) **<u>प्रदेश के सभी जनपदो में बैको द्वारा आरसेटी संस्थानों की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन</u>**

सदन को अवगत कराया गया कि अभी तक प्रदेश सरकार द्वारा कुल -65- जनपदों में नि:शुल्क भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। शासन द्वारा अवगत कराया गया कि -10- अन्य जनपदों में भूमि आवंटन प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जायेगी। मिशन डायरेक्टर, एन.आर.एल.एम. डा0 आदर्श सिह द्वारा इन 10 जनपदों की वर्तमान वस्तु स्थिति का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त, श्री आर. एम. श्रीवास्तव ने इस प्रक्रिया को अविलम्ब पूर्ण करने हेतु ग्राम्य विकास विभाग को निर्देशित किया। लीज डीड निष्पादन कराने पर बैंकों द्वारा बड़ी धनराशि का भुगतान किये किये जाने तथा स्टाम्प शुल्क में छूट दिये जाने के विषय पर उन्होने सदन को अवगत कराया कि अतिशीघ्र ही इसकी समीक्षा कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा।

(II) **<u>राज्य के शेष सभी जनपदो मे आरसेटी की स्थापना</u>**

सदन को अवगत कराया गया कि बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा लखनऊ में आरसेटी की स्थापना गत 02.12.2013 को कर दी गयी है। पंजाब नैशनल बैंक एवं सिंडिकेट बैंक से अनुरोध किया गया कि वे अपने अग्रणी जनपदों यथा बदायुँ, झाँसी तथा शामली एवं सम्भल तथा हापुड क्रमश:, में शीघ्र ही आरसेटी की स्थापना करें। महाप्रबन्धक एवं संयोजक, एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) श्री निर्मेष कुमार ने कहा कि पंजाब नैशनल बैंक की अध्यक्षता में स्थापित आरसेटी की सब-कमेटी द्वारा विभिन्न संस्थानों हेतु भूमि आवंटन, निर्माण कार्य व दर्ज प्रगति की विस्तृत समीक्षा अपेक्षित है। उन्होने सब-कमेटी द्वारा इन मानकों के अनुरुप त्रैमासिक प्रगति भविष्य में सदन के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

(III) **<u>मार्च 2014 तक प्रदेश में -3000- नयी बैंक शाखाओ की स्थापना एवं ऋण जमा अनुपात में मार्च 2013 के स्तर पर 3 प्रतिशत प्वाइंटस की वृद्धि</u>**

इन दोनो ही मानको में बैंकवार अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार 01.01.2013 से 31.01.2014 तक कुल -1514- नयी बैंक शाखाओं की स्थापना की गयी है। -10- चयनित जनपदों में ऋण जमा अनुपात में दर्ज की जा रही वृद्धि का उल्लेख करते हुये विश्वास व्यक्त किया गया कि बैको, राज्य सरकार एवं सभी स्टेक होल्डर्स के संयुक्त प्रयासों से आवंटित लक्ष्य पूर्ण कर लिये जायेगें।

(IV) <u>राज्य के चयनित जनपदो में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) एवं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर- एल.पी.जी (डी.बी.टी.एल.) स्कीम का क्रियान्वयन</u>

सदन को अवगत कराया गया कि डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा चयनित -78- जनपदो में हमारे राज्य के -6- जनपद शामिल है। बैंको द्वारा विभिन्न मानकों में सराहनीय प्रगति दर्ज की गयी है। केवल आधार सीडिंग कार्य में गति लाने की आवश्यकता है जिसके लिए सम्बन्धित यू.आई.डी.ए.आई. के स्तर पर तेजी लाना अपेक्षित है।

डी.बी.टी.एल. योजना के अंतर्गत -3- जनपद यथा कानपुर नगर (बैंक ऑफ बड़ौदा), लखनऊ (बैंक ऑफ इण्डिया) एवं इटावा (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) चयनित है जहाँ योजना का क्रियांवयन 01.01.2014 से प्रारम्भ किया गया है जिसकी गहन समीक्षा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नियमित रुप से की जा रही है। ततक्रम में प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद), उ.प्र. शासन एवं आयुक्त (खाद्य एवं रसद), उ.प्र. शासन द्वारा दिनांक 10.01.2014 व 27.01.2014 एवं 05.02.2014 क्रमशः समीक्षा बैठके आयोजित की गयी है। प्रदेश सरकार द्वारा इन जनपदों मे योजनांतर्गत सघन समीक्षा हेतु राज्य स्तर पर **"Oversight Committee"** एवं जनपद स्तर पर **"Implementation Committee"** का गठन किया गया है।

(V) <u>एस.एल.बी.सी. की विभिन्न उप समितियों द्वारा प्रगति की समयिक रिपोर्टिंग</u>

सदन को अवगत कराया गया कि एस.एल.बी.सी. की विभिन्न उप समितियां नियमित रुप से समीक्षा बैठकें आयोजित कर रही है जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

1. वित्तीय समावेशन कार्यक्रम की उप समिति (संयोजक – भारतीय स्टेट बैंक) की बैठक दिनांक 16.01.2014 को आयोजित की गयी।
2. एन.आर.एल.एम. एवं एस.एच.जी. की उप समिति (संयोजक – बैंक ऑफ बड़ौदा) की बैठक जो दिनांक 11.02.2014 को प्रस्तावित थी को कतिपय अपरिहार्य करणोंवश स्थगित किया गया तथा शीघ्र ही इसका आयोजन प्रस्तावित है।
3. आरसेटी की उप समिति (संयोजक – पंजाब नैशनल बैंक) की बैठक दिनांक 14.02.2014 को आयोजित की गयी।
4. बी.जी.आर.ई.आई. की उप समिति (संयोजक – यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) की बैठक का आयोजन माह फरवरी 2014 प्रस्तावित है।

विगत बैठक में लिये गये निर्णयानुसार विभिन्न उप-समितियों की त्रैमासिक आधार पर सम्पन्न बैठकों की रिपोर्ट व प्रगति एस.एल.बी.सी. को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है ताकि एस.एल.बी.सी. की बैठको में अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की जा सके।

सदन को अवगत कराया गया कि गत बैठक दिनांक 16.12.2013 के निर्णयानुसार बी.जी.आर.ई.आई. की उप समिति (संयोजक – यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया) का कार्यक्षेत्र बढाकर कृषि क्षेत्र को भी सम्मिलित किया गया है तथा उप-समिति का नाम बदल कर **कृषि क्षेत्र हेतु उप-समिति** किया जाता है।

कार्यसूची संख्या 3:- <u>वित्तीय समावेशन प्लान के अन्तर्गत प्रगति</u>

वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 से अधिक व 2000 से कम आबादी वाले सभी गावों में बैंकिग सेवाओ के विस्तार की विस्तृत स्थिति से सदन को अवगत कराया गया। 2000 से कम आबादी वाले चयनित -76855- गॉवों मे बैंकिंग सुविधाओ के विस्तार हेतु बैंको द्वारा बोर्ड एप्रूव्ड प्लान (वार्षिक आधार पर) तैयार कर भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किये जा चुके है। वर्ष 2013-14 हेतु निर्धारित लक्ष्य -31726- के सापेक्ष त्रैमास दिसम्बर 2013 तक -11242- गॉवों में यह कार्य पूरा किया जा चुका है। श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बैंकर्स का आह्वाहन किया कि मार्च 2014 हेतु निर्धारित लक्ष्यों की शत प्रतिशपूर्ति हेतु सतत प्रयास करें।

डी.बी.टी. योजनान्तर्गत प्रदेश के चयनित -6- जनपदों यथा इटावा (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया), चित्रकूट व श्रावस्ती (इलाहाबाद बैंक), संत कबीर नगर (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया) एवं रायबरेली व अमेठी (बैंक ऑफ बडौदा) में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत पूर्ण की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की जनपदवार समीक्षा की गयी। चर्चा के दौरान यह बताया गया कि डी.बी.टी. योजना के अन्तर्गत बायोमेट्रिक एनरोलमेंट हो गये है, लाभ्यार्थियों के खाते खुल गये है तथा उन्हें डेबिट कार्ड भी जारी किये जा रहे हैं। अभी तक -19205- खातों में आधार कार्डस की सीडिंग हुई है। इन जनपदों मे बैंको द्वारा स्थापित किये जाने वाले ए.टी.एम. केन्द्रों की स्थिति स्पष्ट करते हुये, भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बचे हुये केन्द्रो पर इनकी स्थापना हेतु बैंको से अनुरोध दोहराया गया।

विगत् 15.01.2013 को डॉ0 डी. सुब्बाराव, माननीय गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, की अध्यक्षता में सम्पन्न विशेष एस.एल.बी.सी. बैठक के निर्णयानुसार प्रदेश में -3000- नई शाखाएं खोलने के कार्यक्रम के अंतर्गत हुई प्रगति की बैंकवार समीक्षा की गई, जिसके अनुसार दिसम्बर 2013 तक -1514- शाखाएं खोली गयी हैं जो प्रस्तावित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 50 % की उपलब्धि ही दर्शाता है।

श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बैंकों से इस कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकाधिक उपलब्धि दर्ज कराने का आह्वाहन किया।

सभी बैंक के नियंत्रकों ने सदन को आश्वासन दिया कि वे अधिकाधिक शाखाएं खोलने हेतु प्रयासरत है। इस क्रम में कुछ बैंकों ने विद्युत आपूर्ति, कनेक्टिविटी तथा उचित परिसर न मिल पाने जैसी आ रही समस्याओं से अवगत कराया।

इस विषय पर प्रमुख सचिव, संस्थागत वित्त ने सदन को अवगत कराया कि शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों के निवारण हेतु एक उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन दिनांक 22.02.2014 को किया गया है जिसमें सभी सम्बन्धित विभागों से उच्चाधिकारियों को भी बुलाया गया है। उन्होंने सभी बैंकों का आह्वाहन किया कि वे अपने विशिष्ट मुद्दों के साथ उक्त बैठक में भाग लें ताकि इनका त्वरित समाधान किया जा सके।

कार्यसूची संख्या 4:- **<u>हथकरघा क्षेत्र के लिये पुनरुद्धार, सुधार और पुनर्गठन पैकेज एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन</u>**

योजनांतर्गत अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया। यह भी बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु योजनांतर्गत -70000- कार्डस जारी करने का संशोधित लक्ष्य तय किया गया है जिसका आवंटन सभी बैको को किया जा चुका है। इसी क्रम में नोडल ऐजेंसी द्वारा कुछ क्लस्टर भी चयनित किये गये है जिनमें -85- विशेष ऋण शिविर आयोजित करने का कार्यक्रम तय कर सभी सम्बन्धित को सूचित कर दिया गया है। श्री के. के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सदन को अवगत कराया कि इस संशोधित योजना की समयावधि 31.12.2013 से बढाकर 28.02.2014 तक कर दी गयी है। अतः बैंकों से अनुरोध है कि इस योजना का अधिकाधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करें।

कार्यसूची संख्या 5:- **<u>वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत प्रगति समीक्षा</u>**

सदन को अवगत कराया गया कि वार्षिक ऋण योजना 2013-14 के अंतर्गत दिसम्बर 2013 तक बैंको द्वारा दर्ज की गयी कुल प्रगति 60.55% रही है जो विगत वर्ष की समान अवधि की उपलब्धि (58.00%) की तुलना में अधिक है। सेक्टरवार कृषि, लघु उद्यम एवं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज प्रगति क्रमशः 57.47%, 88.65% व 49.54% रही है।

चर्चा के दौरान यह बात सामने आयी कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व सहकारी क्षेत्र के बैंकों की प्रगति में सुधार की आवश्यकता है ताकि उनके योगदान से प्रदेश का कुल उपलब्धि प्रतिशत बढ़ाया जा सके।

कार्यसूची संख्या 6:- **<u>ऋण जमा अनुपात</u>**

बैठक में ऋण जमा अनुपात की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार वाणिज्यिक बैंक + क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का दिसम्बर 2013 तक का ऋण जमा अनुपात विगत वर्ष की आलोच्य अवधि के सापेक्ष क्रमशः 0.82% व ऋण : निवेश + जमा अनुपात 0.17% घटा है।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि गत् तिमाही के अंत में -23- जनपदों की संख्या घटकर अब -18- रह गयी है जो बैंकों द्वारा इस दिशा में किये जा रहे सघन प्रयासों का

परिचायक है। यह -5- जनपद क्रमशः अम्बेडकरनगर (बैंक ऑफ बड़ौदा), गोण्डा एवं मिर्ज़ापुर (इलाहाबाद बैंक), इटावा (सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) तथा संत कबीर नगर (भारतीय स्टेट बैंक) हैं। कतिपय बैंक जिनके ऋण एवं जमा आंकड़ों में प्रमुख अंतर आने के कारण प्रदेश के ऋण जमा अनुपात में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, उनको अपने आंकड़ों का पुनः अवलोकन करने की आवश्यकता है ताकि प्रदेश की प्रगति का सही आंकलन किया जा सके। यह भी अवगत कराया गया कि ऋण जमा अनुपात की सघन समीक्षा हेतु यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समन्वय मे एक उप-समिति गठित है तथा इसकी नियमित बैठके होती है।

इसी क्रम में श्री एस. के. वर्मा, उप महाप्रबन्धक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा कि ऋण जमा अनुपात की उप-समिति की बैठकों में सभी बैंकों द्वारा अपनी कार्य योजना प्रस्तुत करना अपेक्षित है किंतु ऐसा पाया गया है कि केवल अग्रणी बैंक ही इसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने सभी बैंकों के नियंत्रकों से अपेक्षा की कि वह अपनी कार्य योजना उक्त बैठकों में अवश्य प्रस्तुत करें।

कार्यसूची संख्या 7:- <u>प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में भारत सरकार द्वारा चलायी जा रही हरित क्रांति योजना के अंतर्गत कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा</u>

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन से सम्बन्धित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के समन्वय में एक उप-समिति गठित है जिसकी नियमित बैठकों में योजना की प्रगति समीक्षा की जा रही है। उप-समिति की अभी तक -6- बैठके आयोजित की जा चुकी है।

सदन को अवगत कराया गया कि इस योजनान्तर्गत हमारे प्रदेश में अच्छी उपलब्धि दर्ज की गयी है तथा एक मूल्यांकन/ अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार इन जनपदों में कृषि उत्पाद व उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गयी है।

सचिव (कृषि एवं सहकारिता), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न उच्च स्तरीय बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार इस योजना के अंतर्गत आच्छादित सभी राज्यों में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की मार्च 2014 तक एक विशेष बैठक आयोजित करना अपेक्षित है। महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), श्री निर्मेष कुमार ने सदन को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जिसके अनुसारप्रदेश में बी.जी.आर.ई.आई. की एक उप-समिति यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की अध्यक्षता में गठित है तथा इस उप-समिति की बैठक में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा नियमित रुप से की जाती है।

सदन द्वारा इस बिन्दु पर चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा एक विशेष बैठक का आयोजन कर लिया जाये ताकि कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

कार्यसूची संख्या 8:- **<u>किसान क्रेडिट काई योजना के अंतर्गत सभी पात्र परंतु वंचित किसानों को आच्छादित किया जाना</u>**

योजनांतर्गत प्रगति रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

श्री देबाशीष पाण्डा, प्रमुख सचिव (कृषि), उ0 प्र0 शासन, ने सदन को सहर्ष अवगत कराया कि हमारे प्रदेश को वर्ष 2013-14 में कुल खाद्यान्न उत्पादन के लिये "कृषि कर्मण्य कमेंडेशन पुरस्कार" प्रदान किया गया है। निश्चय ही प्रदेश में कृषि क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणाम परिलक्षित हुये है परन्तु अभी भी इसमें सुधार की व्यापक गुंजाइश है।

नवीन कृषि बीमा योजना की चर्चा करते हुये उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से अनुरोध किया कि योजना के अंतर्गत सभी दिशा निर्देशों का ससमय पालन करे तथा इसका वृहद प्रचार-प्रसार करते हुये ग्रामीण केन्द्रों/बैंक शाखाओं के सम्बन्धित अधिकारियों को जागरुक करे ताकि योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने अविकसित जनपदों यथा बुन्देलखण्ड में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया।

डॉ0 वी. के. सिंह, निदेशक (कृषि सांख्यिकी) ने सदन को अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा हमारे प्रदेश में 01.11.2013 से नई बीमा योजना 'नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम' (NCIP) लागू की गयी है जो वर्तमान रबी मौसम से कार्यरत है। पूर्व में कार्यरत संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना एवं मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तर्ज पर ही इस योजना को तैयार किया गया है। इस योजना के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए उन्होने सदन को अवगत कराया कि योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से आगामी माह में एक कार्यशाला का आयोजन विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है जिसमे सभी स्टेक होल्डर्स की सक्रिय सहभागिता का अनुरोध है।

इसी क्रम में श्री आर. एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त), उ. प्र. शासन ने सम्बन्धित अधिकारी को इस योजना की विस्तृत जानकारी द्विभाषीय (हिन्दी व अंग्रेज़ी) माध्यम से सभी बैंकों को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की तथा यह भी कहा कि बीमा योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से सभी सम्बन्धित को प्रेषित की जानी चाहिये। श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ0 प्र0 ने विभाग से इस योजना को प्रचारित व प्रसारित करने का पुनः अनुरोध किया।

कार्यसूची संख्या 9:- <u>सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को अग्रिम</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंको की दिसम्बर 2013 तक की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

कार्यसूची संख्या 10:- <u>साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह</u>

साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह योजनाओं के अंतर्गत अद्यतन स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। चर्चा के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि इस योजना में सभी को मिलकर और अधिक प्रयास करने चाहिये ताकि गरीब एवं कमजोर वर्ग को साहुकारों से मुक्ति दिलायी जा सके।

श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त ने नाबार्ड से अपेक्षा की कि वह अपने जनपद स्तरीय जिला विकास प्रबन्धकों (डी.डी.एम.) के माध्यम से इस योजना तथा अन्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

कार्यसूची संख्या 11:- <u>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते, सरकार द्वारा प्रायोजित योजनांतर्गत व गैर निष्पादक आस्तियो के अंतर्गत ऋण वसूली की स्थिति</u>

कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अन्तर्गत ऋण वसूली की स्थिति पर चर्चा के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा बैंक ऋण वसूली हेतु किये जा रहे प्रयासों व प्रदत्त सहयोग की सराहना सदन द्वारा की गयी एवं और अधिक सहयोग का अनुरोध दोहराया गया। बैंको से यह भी अनुरोध किया गया कि लम्बित वसूली प्रमाण पत्रो का विवरण ऑन लाइन करने की प्रक्रिया को पूर्ण करें एवं नियमित रुप से अपडेट करें।

श्री अरुण पसरीचा, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वसूली प्रमाण पत्रो के ऑन लाइन अपडेअशन पर जोर डालते हुये कहा कि इस प्रक्रिया से निश्चय ही इन मामलो में वसूली में सुधार आयेगा। साथ ही उन्होने बैंको से प्रदेश शासन को इस कार्य के लिये पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आह्वाहन किया।

श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त निदेशालय ने शासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वाशन देते हुये कहा कि इस विषय पर माननीय मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन के स्तर से सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी किया जा चुका है तथा वसूली कैम्पों के माध्यम से अधिक से अधिक वसूली सुनिश्चित की जा सकती है। इसी क्रम में उन्होने कहा कि बैंको तथा राजस्व विभाग के ऑकड़ो का मिलान अनिवार्य है।

श्री आर. एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) उ.प्र. ने प्रदेश के कुछ जनपदों मे वसूली पर रोक होने के विषय पर चर्चा करते हुये कहा कि वर्तमान में प्रदेश में किसी भी प्राकृतिक आपदा का प्रकोप न होने के कारण फसलों की पैदावार अच्छी हुई है जो वसूली में सहायक सिद्ध होगी। उन्होने यह भी कहा कि वसूली का सीधा असर प्रदेश के ऋण जमा अनुपात पर पड़ता है अतः प्रदेश के ऋण जमा अनुपात में वृद्धि के लिये यह आवश्यक है कि वसूली में भी वृद्धि हो। इसके मद्देनजर उन्होने अपेक्षा की प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग) द्वारा वसूली पर रोक हटाये जाने के मुद्दे को कैबिनेट की बैठक में पारित करवाये ताकि सभी बैंकर्स को राहत मिल सके। "फसल बीमा" को वसूली के सम्बन्ध मे महत्वपूर्ण उपकरण बताते हुये उन्होने इसका सुदृढ़ीकरण एवं व्यापक प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया। साथ ही विभिन्न बैंको द्वारा एकमुश्त समाधान योजना (OTS scheme) के अन्तर्गत कैम्पों के आयोजन का भी आह्वाहन किया।

कार्यसूची संख्या 12:- <u>अल्पसंख्यक समुदायों को वित्तीय सहायता</u>

प्रदेश में कार्यरत बैकों की दिसम्बर 2013 तक की प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। साथ ही चयनित -21- जनपदों की विस्तृत सूचना प्रेषण हेतु बैंको से अनुरोध किया गया।

चर्चा के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार ऐसे ऋण, जो "लिमिटेड कम्पनियो" को दिये गये है तथा जिनके प्रमोटर अल्पसंख्यक समुदाय के है, वह अल्पसंख्यक समुदाय के ऋण के रुप में शामिल नहीं किये जायेगे। परन्तु यदि पार्टनरशिप कम्पनी को ऋण दिया गया है और उसके पार्टनर अल्पसंख्यक समुदाय के है तो वह ऋण स्वतः ही इस योजना की परिधि में आ जायेगें। बैंको से सही डाटा रिपोर्टिंग हेतु भी अनुरोध दोहराया गया।

कार्यसूची संख्या 13:- <u>स्वयं सहायता समूह (एस.एच.जी.)</u>

प्रदेश में कार्यरत सभी बैकों की आलोच्य अवधि एवं योजना के प्रारम्भ से अद्यतन प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

श्री पी. बेहरा, महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने एस.एच.जी. से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुये कहा कि :-

- ✓ एस.एच.जी. ऋण प्रवाह को बढ़ाने के लिये अन्य राज्यों की तरह हमारे राज्य में भी स्टाम्प शुल्क में छूट दी जानी चाहिये।
- ✓ प्रदेश में विभिन्न बैंको द्वारा एस.एच.जी. ऋण स्टाम्प शुल्क चार्ज की धनराशि में एकरुपता होनी चाहिये।

कार्यसूची संख्या 14:-<u>विभिन्न गरीबी उन्मूलन व स्वरोज़गारपरक कार्यक्रमों की प्रगति समीक्षा</u>

(क) <u>स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना (SGSY):</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की दिसम्बर त्रैमासांत की प्रगति पर सदन द्वारा समीक्षा की गयी जिसके अंतर्गत समूहों व व्यक्तिगत स्वरोज़गारियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने से अवगत कराया गया।

इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि पिछली बैठक में लिये गये निर्णयानुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा ने उत्तर प्रदेश में एस.एल.बी.सी. के संयोजक के रूप में एफ.एल.सी. मैटेरियल की प्रिंटिंग के लिये निविदायें पुनः आमंत्रित करी थीं एवं निविदा समिति के सदस्यों की उपस्थिति में आपूर्तिकर्ता का निर्धारण कर दिया गया है।

(ख) <u>स्वर्ण जयंती शहरी रोज़गार योजना (SJSRY):</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की दिसम्बर त्रैमासांत की प्रगति समीक्षा की गयी।

चर्चा के दौरान श्री आई. पी. कनौजिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सूडा ने बैंकों से अपेक्षा की कि वह इस योजना के अंतर्गत समूह ऋणों को प्राथमिकता प्रदान करें तथा इस योजना में ऋण प्रवाह को बढायें।

(ग) <u>प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (PMEGP):</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की दिसम्बर त्रैमासांत की प्रगति समीक्षा की गयी।

चर्चा के दौरान श्री के. पी. मिश्रा, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, कानपुर ने इस योजना के अंतर्गत हुई प्रगति पर चर्चा करते हुए सभी बैंकों से अनुरोध किया कि वह सभी लम्बित आवेदनों की स्वीकृति, वितरण एवं नोडल शाखा को मार्जिन मनी क्लेम का प्रेषण करते हुए मार्जिन मनी प्राप्त करने की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर सहयोग प्रदान करें।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के संयोजक, श्री निर्मेष कुमार ने नोडल एजेंसी से अनुरोध किया कि वे जनपदवार, बैंकवार/ शाखावार लम्बित आवेदन पत्रो की सूची एस.एल.बी.सी. को उपलब्ध करा दे ताकि उनके स्तर से अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

चर्चा के दौरान सदन के सम्मुख क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को CGTMSE स्कीम के अंतर्गत आच्छादित न किये जाने का मुद्दा उठाया गया जिसके स्पष्टीकरण में श्री पी. श्रीनिवास, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सदन को अवगत कराया कि यदि

योजनांतर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा किन्हीं कारणोंवश वांछित प्रगति दर्ज नहीं की जा रही है तो उनके प्रायोजित बैंकों को उस योजना के अंतर्गत लक्ष्य की पूर्ति के दायित्व का निर्वाहन किया जाना है। उन्होंने सम्बन्धित विभाग से लक्ष्य से अधिक आवेदनों को प्रेषित करने का अनुरोध किया ताकि कतिपय आवेदनों की अस्वीकृति के बाद भी उचित प्रतिशत बना रहे।

श्री राकेश कृष्णा, अपर निदेशक , संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ0 प्र0 ने सम्बन्धित विभाग से अनुरोध किया कि इस योजना के अंतर्गत आवेदन पत्रों को चयनित करके बैंकों को प्रेषित करते समय ही इनका विभिन्न श्रेणीवार फांट करना सुनिश्चित कर लें ताकि श्रेणीवार लक्ष्य पूर्ति भी सुनिश्चित हो सके।

श्री शिव सिंह यादव, निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय, उ0 प्र0 ने सभी बैंकों से इस योजना के अंतर्गत लक्ष्यों की पूर्ति हेतु अनुरोध किया।

(घ) <u>सघन मिनी डेयरी परियोजना (SMDP):</u>

इस योजनान्तर्गत अद्यतन प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। श्री एस. सी. वर्मा, प्रबन्धक, सघन मिनी डेयरी परियोजना ने बैंकों द्वारा प्रदान किये जा रहे सहयोग की सराहना की तथा लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण करने का आग्रह किया।

(च) <u>विशेष समन्वित योजना</u>

प्रदेश में कार्यरत बैंकों की योजनांतर्गत प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

(छ) <u>मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की दिसम्बर त्रैमासांत की प्रगति समीक्षा की गयी।

(ज) <u>पशुपालन एवं कुक्कुट पालन योजनायें</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की दिसम्बर त्रैमासांत की प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या 15:- <u>भारत सरकार की नवीन योजनायें</u>

भारत सरकार द्वारा क्रियान्वयित नवीन योजनाओं यथा एग्रीक्लीनिक/एग्रीबिज़नेस केन्द्र, ग्रामीण भंडारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट सब्सिडी योजना, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा संचलित योजना की अद्यतन प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

श्री के. के. गुप्ता, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने सभी बैंकों से सरकार की इन नवीनतम योजनाओं के अंतर्गत लम्बित आवेदनों का यथाशीघ्र निस्तारण करने का आह्वाहन किया।

कार्यसूची संख्या 16:- <u>शिक्षा ऋण</u>

इस योजनान्तर्गत प्रदेश में कार्यरत बैंकों की वित्तीय वर्ष 2013-14 की दिसम्बर त्रैमासांत की प्रगति समीक्षा की गयी जिसके अनुसार प्रदेश में बैंकों ने आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष 98 प्रतिशत की उपलब्धि दर्ज की है जो अत्यंत ही हर्ष का विषय है।

कार्यसूची संख्या 17:- <u>बैंकों से सम्बन्धित आपराधिक मामले</u>

सदन को अवगत कराया गया कि इस त्रैमास में एक घटना घटित हुई जो सदन के पटल पर प्रस्तुत की गयी। चर्चा के दौरान श्री आर. एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) उ.प्र. ने सम्बन्धित बैंक से घटना स्थल का पूर्ण विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया ताकि उचित कार्यवाही की जा सके। उन्होंने सभी बैंकों से आग्रह किया कि हाल ही में खुली नई बैंक शाखाओं का पता सहित पूर्ण विवरण सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक (एस. पी.) को उपलब्ध करायें ताकि सम्बन्धित थाने द्वारा सुरक्षा की सभी कार्यवाहियाँ पूर्ण की जा सकें।

इसी क्रम में सदन में उपस्थित पुलिस अधिकारी ने सभी को अवगत कराया कि प्रदेश के सभी जनपदों में क्राइम ब्रांच गठित की गई हैं जो कि बैंक सम्बन्धित सभी मामलों के लिये नोडल एजेंसी का कार्य कर रही हैं तथा बैंक सम्बन्धी सभी मामलें समयबद्ध रूप से निस्तारित किये जायेंगे।

श्री आर. एम. श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव (संस्थागत वित्त) उ.प्र. ने इससे सम्बन्धित विस्तृत दिशानिर्देशों को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उ0 प्र0 के माध्यम से सभी बैंकों को जारी करने की अपेक्षा की।

कार्यसूची संख्या 18:- <u>अन्य विषय अध्यक्ष की अनुमति से</u>

निम्न 4 प्रकरणों से सम्बन्धित स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी :-

1. **<u>Review of Registration Criteria as MLI under Credit Guarantee Scheme (CGS) of CGTMSE .</u>**

   सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा CGTMSE योजना के अन्तर्गत एम.एल.आई. के रुप मे रजिस्टर/रिरजिस्टर करने के लिये संशोधित मापदण्ड प्राप्त हुये है।

उपरोक्त संशोधित मानदंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा लघु उद्योगों हेतु ऋण प्रवाह को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करेगा। अतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पात्रता हेतु नीतिगत ढांचे में आवश्यक संशोधन वांछित है।

2. **Revised Venture Capital Assistance Scheme for Agri Business Development during the 12th Plan**

प्रबंध निदेशक (एस.एफ.ए.सी.), कृषि और सहकारिता, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि वेंचर कैपिटल सहायता योजना के दिशा निर्देशों को 12 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार से पधारे नोडल विभाग के अधिकारियों द्वारा इस योजना के अंतर्गत हुये संशोधन का विस्तृत विवरण Power Point Presentation के माध्यम से प्रस्तुत किया गया एवं सभी बैंको से दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया।

3. **Guidelines for operationalization of Interest Subvention Scheme under NRLM for SHGs- RBI & NABARD Guidelines;**

संयुक्त सचिव (आर.एल.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस योजना के प्रभावी क्रियांवयन हेतु बैंको द्वारा अपेक्षित कार्यवाही के विषय में अवगत कराया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड द्वारा भी योजान्तर्गत विस्तृत जानकारी से सभी बैंको को अवगत कराया गया। सभी बैंको से अनुरोध किया गया कि इन दिशा निर्देशों का सावधानी से पालन करें ताकि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित लाभ लाभार्थियों को प्राप्त हो सके।

4. **Implementation of the GoUP Scheme of Mahila Udhyami Protsahan Yojana 2013 (Interest Subvention in 49 identified Districts of the State)**

आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ.प्र. शासन द्वारा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए शुरु की गयी नवीन योजना से अवगत कराया गया।

यह योजना एस.एल.बी.सी. द्वारा सभी बैंको को प्रेषित की जा चुकी है।

सभी बैंको से अनुरोध किया गया कि इन दिशा निर्देशों का सावधानी से पालन करें ताकि भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित लाभ लाभार्थियों को प्राप्त हो सके।

बैठक के अंत में श्री अजय व्यास, अंचल प्रमुख, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने बैठक में पधारे सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

****

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 21.02.2014 को आयोजित बैठक की कार्यबिन्दु

SN	Issue	Latest Position	Required Action
1.	**Allotment of minimum 1 Acre of land free of cost by the State Govt. to the Banks for setting up of R-SETIs in remaining -10- Districts of the State.**	All Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -65- Districts so far. During the Meeting it was deliberated by the State Government that the State Govt. is in the process of allotment of land in remaining -10- Districts. However, due to certain constraints, the allotment process is getting delayed. It was also advised that in respect of -65- Districts the Banks must start the process of getting the lease deed execution, signing of MoU and construction of the building etc. so that the RSETIs may start functioning in its own building and the very purpose of RSETIs is served	As discussed during the Meeting, the State Govt. is requested to speed up the process of land allotment in remaining -10- Districts to enable Banks to start construction of the RSETI buildings etc. All the Lead Banks are also requested to ensure that the necessary formalities for construction of the RSETI buildings are completed at the earliest so that the RSETIs may start functioning in their own buildings. **(Action : Commissioner, Rural Development, GoUP & the Lead Banks)**
2.	**Setting up of RSETIs in all remaining Districts of the State**	During the Meeting it was observed by the house that -2- Lead Banks have yet to establish RSETIs in their Lead Districts as per resolution of the SLBC. Viz. Punjab National Bank (Badaun, Jhansi & Shamli) and Syndicate Bank (Sambhal & Hapur)	Both Lead Banks are requested to establish the RSETIs in their respective Lead Districts at the earliest **(Action : Punjab National Bank & Syndicate Bank)**
3.	**Opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014 & improving the CD Ratio by 3% points over March 2013 level**	As per decision of the Special SLBC Meeting Dated 15.01.2013, Banks have designed the roadmap for opening of -3000- new B&M Bank Branches by March 2014 & improving the CD Ratio by 3% points over March 2013 level. It was informed that as many as -1571- new B&M Branches have been established by various Banks in the State upto 19.02.2014. The house was also informed that the DIF, GoUP and SLBC (UP) are periodically reviewing the progress with all concerned and special Meetings have also been organised for the purpose. As at December 2013 the CD Ratio of -10- out of -12- identified Districts has shown increase over the March 2013 level where as -2- Districts viz. Jhansi & Bulandshahr (PNB) are showing negative growth by 0.53% & 5.43% respectively.	The Banks are required to follow the set deadline to achieve the quarterly & in turn annual targets upto March 2014. Since the State Govt. has assured of all support and cooperation in this joint endeavour, Banks must obtain all necessary support from the District /State authorities. It is also desired that the Monthly and Quarterly progress is advised to the DIF, GoUP & SLBC (UP) on regular basis by all Banks so that the State progress may be highlighted at various forums. Banks must endeavour to achieve the set goals for bringing in increase in the CDR as per commitments made to RBI, GoI & State Govt. **(Action : All Banks & State Government)**
4.	**Implementation of Direct Benefit Transfer (DBT) as well as Direct Benefit Transfer –LPG (DBTL) Schemes.**	-6- Districts of the State viz. Amethi & Raebareli (BOB), Etawah (CBI), Chitrakoot & Shrawasti (AB) and St. Kabir Nagar(SBI) have been identified for implementation of DBT Scheme w.e.f. 01.07.2013. Similarly, -3- more Districts viz. Kanpur Nagar (BoB), Lucknow (BoI) & Etawah (CBI) have been identified for implementation of DBTL Scheme w.e.f. 01.01.2014. Regular review is being done by Banks & SLBC and also at Govt. of India level. Various steps required for successful implementation of these schemes have been taken by stake holders. However, more vigorous efforts are required to be made by the Banks and other agencies viz. UIDAI, Census Directorate and the BME Agencies to accompanish this task .	All Banks and the State Govt. are required to implement the DBT and DBTL Schemes in latter & spirit by fulfilling all the requirements viz. opening of Beneficiary Accounts, issuance of Debit Cards, Seeding of Aadhaar Number with the beneficiary account and installation of onsite ATMs etc. at all branches in these identified Districts. **(Action : All Banks & State Government)**

5.	**Periodical reporting of the progress attained by different Sub-Committees of SLBC (UP)**	As per the guidelines of revised Lead Bank Scheme, different Sub Committees of SLBC on various subject matters are constituted in the State with its convenership to different Banks viz. Union Bank of India (on CD Ratio & BGREI), State Bank of India (on FIP), Punjab National Bank (on RSETI) & Bank of Baroda (on NRLM & SHGs). During the discussions in the Meeting, it has been pointed out that although the Sub Committees are regularly conducting the Meetings however the out come thereof and the recommendations are not been advised during the SLBC Meetings. Hence, there is a need to place the progress and recommendations of the Sub Committees during the SLBC Meeting interalia mentioning the developments during the quarter. It was also resolved that the scope of Sub Committee on BGREI be extended to include review of progress under Agriculture Sector in the State. Further the name of this Sub-Committee stands modified to the **"Sub-Committee on Agriculture."**	The convener of all these sub committees are requested to act as per the direction of SLBC & the report on the quarterly Meetings with progress and recommendations should be submitted to SLBC in advance of the proposed Meetings. **(Action : Union Bank of India, State Bank of India, Punjab National Bank & Bank of Baroda)**
6.	**Coverage of all -76855-villages having polulation less than 2000 by March 2016 in phased manner**	It was informed that the Board approved Disaggregation Plan for 2013-14, 2014-15 & 2015-16 has been prepared and submitted to Reserve Bank of India by all Banks. As per plan for fiscal 2013-14 -30515- villages are to be covered against which as at December 2013 -11242- villages have been covered by all Banks which is 37% of the Annual Target. The Reserve Bank of India & the MoF, Govt. of India have expressed concern on the poor performance of the State & has desired the need for urgent improvement and attainment of the set targets as at March 2014 The Reserve Bank of India has also desired of a confirmation from all Banks about bifurcation of the Branch wise targets of the Annual Disaggregation Plan which the Banks are required to submit at the earliest.	All Banks should ensure coverage of the villages set to be covered upto March 2014 & the consistant progress should be advised to all concerned on prescribed Annexure- B. Further the confirmation about bifurcation of the targets upto Branch level as desired by RBI should also be ensured by the Banks. **(Action : All Banks)**
7.	**Recapitalization of RRBs – The Baroda U.P. Gramin Bank**	In terms of the recommendations of Dr. K. C. Chakrabarty report, -2-RRBs viz. Baroda U.P. Gramin Bank, Raebareli & Kshetriya Kisan Gramin Bank, were identified for recapitalization assistance by GoI. Board of Directors of the Bank - BUPGB have in principle agreed to release its share of ₹29.75 crore and the State Govt. share to the tune of ₹12.75 crore is required to be released to BUPGB. The matter is being regularly discussed by the concerned Bank with the State Govt. and also during SLBC Meetings. During the Meeting CGM, NABARD requested the State Govt. to release its share so that the GoI and the sponsored Bank share may also be released and the Bank may infuse the funds to the Capital.	The State Govt. is requested to settle this issue at the earliest by releasing its share to BUPGB under the recapitalization Plan of GoI. **(Action : DIF, GoUP)**
8.	**Security of the Bank Branches by providing their details to the District Police Officials**	During the Meeting it was deliberated that large number of new Bank branches have been opened in different Districts and their safety & security is very necessary which is a State subject. The Principal Secretary (Institutional Finance), GoUP while appreciating the efforts made by the Bank in this direction, reiteriated full support and cooperation from the State Govt. Accordingly, he desired the Banks to submit full details of the newly opened branches to the Supreitendent of Police (SP) of respective Districts so that they can take care of the safety & security of the branches.	The Banks to take appropriate steps in this direction by submitting the District wise details to the respective SPs and soliciting their cooperation. **(Action : All Banks & the State Govt.)**

List of the participants fro SLBC (UP) Meeting dated 21.02.2014

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
1	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Executive Director	Shri P Srinivas	022- 66985888
2	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri Nirmesh Kumar	0522-6677607
3	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Arun Pasricha	9415015471
4				Dy. General Manager	Shri S K Verma	8004921328
5				Asstt. Gen. Manager	Shri D.C. Soni	8004921329
6				Asstt. Gen. Manager	Shri Gopal Prasad	9984811113
7				Asstt. Gen. Manager	Shri Subhash Agarwal	
8	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	Yes	Chief General Manager	Shri K K Gupta	9453004901
9				General Manager	Shri P Behera	9532038074
10				Asstt. General Manager	Ms. Suparna Tandon	8601530473
11	SIDBI, Lucknow	State In-charge/ Dy. Managing Director	No	Dy. General Manager	Ms Srabani Das	9972531772
12	State Bank of India. Lucknow	Chief Gen. Manager	No	General Manager	Shri A K Palit	8005488744
13		Gen. Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri V.S. Negi	8005493150
14				Asstt. General Manager	Shri B N Tandon	7408433889
15	Punjab National Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri M C Madan	8173000101
16				Chief Manager	Shri Ashwani Kumar Singh	8004920953
17				Officer	Shri Nand Kishore	8173000132
18	Allahabad Bank, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri D S Bhatnagar	9984023265
19				Senior Manager	Shri Ram Khelawan	9452258007
20	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri B.P. Dimri	9839034457
21				General Manager	Shri H K Behera	9918301580
22				Senior Manager	Shri Moti Lal	9918702102
23				Chief Manager	Ms. Rajashri Baglari	9918702112
24	Canara Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager / State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri S. K. Chaudhry	9936406606
25				Divisional Manager	Shri Amar Nath Mondal	9565678880
26	Syndicate Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Kamal Bhola	8052111181
27				Sr. Manager	Shri K M Saxena	9415004955
28	Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri M. K. Gupta	9839013933
29	Central Bank of India, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Ajay Vyas	9918002199
30				DCO-RD	Shri Amit Kumar Pandit	9628722111
31	Andhra Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri Rakesh Pratap Shukla	9559002244
32				Dy. Manager	Shri Ajaya Kumar Negi	7379458299

List of the participants fro SLBC (UP) Meeting dated 21.02.2014

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
33	Bank of Maharashtra, Lucknow	Asstt. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri P C Verma	9936873777
34	Corporation Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. General Manager	Shri K Venkatesh Rao	9450174500
35	Dena Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Dhananjay Kumar	
36				Manager	Shiv Sagar Chaurasia	9721459202
37	Indian Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. Gen. Manager/ State Head	Shri. A. K. Bajpai	9839016070
38	Indian Overseas Bank, Lucknow	Chief Regional Manager/State Head	Yes	DGM/ Chief Regional Manager	Shri Ajay Kumar Raizada	9839010168
39				Senior Manager	Shri Anand Anal	8960626722
40	Oriental Bank of Commerce, Lko.	General Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri Anil Srivastava	8853099009
41				Manager	Shri Bikram Bhuyan	9005977788
42	Punjab & Sind Bank, Lucknow	Zonal Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri I S Sial	0522-2614260
43	State Bank of B & J, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Chief Manager	Shri Sanjay Kumar Gautam	9167499114
44				Dy. Manager	Shri Sachin Khare	9453008268
45	State Bank of Hyderabad. New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Asstt. General Manager	Shri Ajay Kumar	8860305599
46				Manager	Shri Vipin Singh	
47	State Bank of Mysore, Lucknow	Senior Branch Manager	Yes	Branch Manager	Shri Sanjay Shukla	9889893331
48	State Bank of Patiala, Lucknow	Dy. General Manager	No	Chief Manager	Shri Umashankar Gupta	9621179382
49				Asstt. Manager	Ms Ajita	8756775522
50	State Bank of Travancore, Lucknow	Chief Manager	No	Spc. Asstt.	Shri Brajesh Kumar	9411044013
51	UCO Bank, Lucknow	General Manager	No	Dy. General Manager	Shri S. Satapathy	8687755066
52	United Bank of India, Lucknow	Chief Regional Manager	No	Asstt. General Manager	Shri Amitabh Rai	9628369087
53	Vijaya Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager	Yes	Dy. General Manager	Shri A.K. Das	9935057850
54				Senior Manager	Shri S Murmu	9532110797
55	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri S Gaur	9415113553
56	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	No	General Manager	Shri G K Srivastava	7388954557
57				Chief Manager	Shri A K Verma	7388899783
58	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri K R Kanojia	8765956232
59	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad	9415600700
60	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri. B. K. Pandit	9837036728
61	Purvanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Rakesh Gupta	9415210544
62	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri D S Bainola	7895007722
63	U.P. Sahkari Gram Vikas Bank	Chief General Manager	Yes	General Manager	Shri K B Lal	7408407454

List of the participants fro SLBC (UP) Meeting dated 21.02.2014

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	No			
64	Axis Bank, Lucknow	Circle Head	Yes	Vice President	Shri Pradeep Agrawal	9161888849
65				Asstt. Vice President	Shri Gautam Iyer	9198085555
66	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	Yes	AVP & Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9336820290
67	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	Yes	Regional Head	Shri Saurabh Srivastava	9720164864
68				Regional Relationship Manager	Ms Misha Dua	8953990809
69	IDBI Bank, Lucknow	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. General Manager	Shri Pradeep Pali	8604099999
70	Indusind Bank Ltd., Lucknow	Regional Relationship Officer/ State Head	No	Sr. Vice President	Shri Himanshu Mishra	9554888806
	ING Vysya Bank Ltd, Lucknow	Branch Head	No			
71	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Branch Manager	Shri Biju .K. Philip	9839222575
	Kotak Mahindra Bank, Mumbai	State Head	No			
72	Federal Bank, Lucknow	Chief Manager	Yes	Chief Manager	Shri. Joy K.O.	7275488057
73	J&K Bank, Gurgaon	Asstt. Gen. Manager	No	Asso. Accountant	Shri M Waseem	9453832711
74	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Asso. Vice President	Shri S.C. Joshi	8009241100
75	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. Manager	Shri Amit Kumar	9450767259
76				Sr. Manager	Shri Rakesh Raja	8577866733
	Govt. of U.P.	Chief Secretary	No			
	Govt. of U.P.	Agriculture Production Commissioner	No			
77	Agriculture	Principal Secretary, GoUP	No	Principal Secretary (Agril. & Coop.)	Shri Debasish Panda, IAS	0522-2238020
	Rural Development	Principal Secretary, GoUP	No			
78	Institutional Finance	Principal Secretary, GoUP	Yes	Principal Secretary, IF	Shri R M Srivastava, IAS	9454417401
	Industries & Export Promotion	Prineipal Secretary, GoUP	No			
	Dairy Development	Principal Secretary, GoUP	No			
	Khadi & Village Industry Board	Principal Secretary, GoUP	No			
	Social Welfare	Principal Secretary, GoUP	No			
	Urban Development & SUDA	Secretary, GoUP	No			
79	MSME	Secretary, GoUP	No	Jt. Secretary	Shri Sanjay Kumar Upadhay	9415001506
80				Asstt. Director	Shri J N S Yadav	9452240045
81	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	Special Secretary	Dr. S S Singh	0522-2235297
82				Dy. Commissioner	Shri Sunil Kumar Chaudhary	9838203316
83	Industries	Commissioner & Director, GoUP	No	Jt. Director	Shri K P Mishra	9415054007
84	Rural Development	Commissioner, GoUP	No	Mission Director, NRLM	Dr. Adarsh Singh, IAS	9454412671

List of the participants fro SLBC (UP) Meeting dated 21.02.2014

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
85				Dy. Secretary	Shri M B Singh	
86	State Urban Development Agency	Director	Yes	Project Manager	Shri I P Kanojia	
87	U.P. Bhumi Sudhar Nigam Ltd.	Managing Director	No	Sr.Manager	Shri Atul Kumar	9415086119
88	U.P. Minorities Fin. & Dev. Corp.	Managing Director	No	Asstt. Accountant	Shri Daya Ram Verma	9557612677
	National Commission for SCs, GoI	Director	No			
89	U.P. SC/ST Fin. & Dev. Corp. Ltd.	Managing Director	No	Chief Finance & Accounts Officer	Shri Om Prakash	
	U.P Backward classes Fin. & Dev. Corp.	Managing Director	No			
90	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director	Yes	Director	Shri Shiv Singh Yadav	
91		Addl. Director	Yes	Addl. Director	Shri Rakesh Krishna	9415102888
92				Dy. Director	Shri A P Tiwari	9415173813
93				Addl. Research Officer	Shri Janki Prasad	0522-2624615
94				ARO	Shri Vivek Anand	9808913076
95	Agriculture	Director	No	Addl. Director	Shri M K Srivastava	9235629311
96	Agriculture (Statistics)	Director	Yes	Director	Shri V K Singh	9235629305
97				Jt. Director	Shri R K Gupta	9235629339
	National Horticulture Board	Director	No			
98	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	Yes	Director	Shri G Hussain	7523907666
99				Asstt. Director	Shri V. P. Gupta	9415059359
100				Superintendent	Shri Subodh Kumar	0522- 2310378
101	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	No	Dy. CEO	Shri Hari Ram Singh	9839959915
102	Saghan Mini Dairy Pariyojana	General Manager	No	Manager	Shri S C Verma	9621874616
103				Manager	Shri Rohit Saxena	9919959698
104	Police Headquarter	Director General	No	S P (Crime)	Shri. Ashok Prasad	9454401146
	Udyog Bandhu	Executive Director	No			
105	National Housing Bank	Regional Manager	No	Asstt. General Manager & Regional Representative	Shri S H P Rizvi	9793608850
	Ministry of Finance, GoI	Director (CP & MF)	No			
	Ministry of MSME, GoI	Director	No			
	Ministry of Rural Development	State Project Co-ordinator	No			
	LIC of India	Regional Manager	No			
	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No			
	United India Insurance Co. Ltd.	Nodal Officer	No			

List of the participants fro SLBC (UP) Meeting dated 21.02.2014

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details		
				Designation	Name	Contact No.
	National Insurance Co.Ltd.	Dy. Manager	No			
	New India Insurance Co.Ltd.	Regional Manager	No			
106	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	Yes	Chief Regional Manager	Shri Rampal S Rawat	8935030301
107				Asstt. Manager	Shri Tarun Kr. Singh	9044445266
	GOI	NIC				
	Special Invitee					
108	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	No	Director	Dr. Rudra Pratap	8765957865
109	Planning	Principal Secretary, GoUP	No	Asstt. Project officer	Shri Rakesh Saxena	9454468910
110	Small Farmers Agri. Business Consortium (S	Managing Director	No	Field Officer	Ms. Saloni Taneja	8527028366
111				Assistant	Shri Sushil Kumar	9811645719
112	Reliance General Insurance Co. Ltd.	Manager	Yes	Branch Manager	Shri Saurabh Ashish	9307560927
113				Asstt. Manager	Shri Devendra Singh	9307852500
114	Future Generali Insurance India Co. Ltd.	State Head	Yes	State Head	Shri Srikant Singh	8756777777
115				Relationship Manager	Ms. Mredul Arya	7408308444
116	IFFCO-Tokio General Insurance Co. Ltd.	Sr. Manager	Yes	Sr. Manager	Shri Siddhartha Singh	9670355000
117	ICICI Lombard GIC Ltd.	Manager	Yes	Manager	Shri Amitesh Kumar	7408402415
118	TATA AIGGIC Ltd.	Manager	Yes	Manager	Shri Ajay Kumar Singh	8860275533
119	Cholamandalam MSGIC Ltd.	Relationship Manager	Yes	Relationship Manager	Shri Suneel Kumar Srivastava	9453437345
120				Sr. Manager	Shri Abhijit Nandode	7489723804
121				Dy. Gen. Manager	Shri R K Awasthi	9919908444
122				Dy. Gen. Manager	Shri A K Singla	9839112344
123				Asstt.Gen. Manager	Shri B R Patel	0522-6677722
124				Chief. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721
125	Convener Bank - Bank of Baroda			Manager	Shri R K Agrawal	9415182483
126				Manager	Shri G M Dayal	0522-6677730
127				Manager	Ms Silk Smita	0522-6677694
128				SWO	Ms Preeti Arya	0522-6677726
129				SWO	Ms Anjali Singh	0522-6677726